215(A)

भारत सरकार/Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy
निमार्ण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय
Directorate of Construction Services & Estate Management
निदेशक कार्यालय / Director's Office

तीसरा तल, वि.सा. भवन/ 3rd Floor, V.S. Bhavan,
अणुशक्तिनगर/Anushaktinagar,
मुंबई/Mumbai-400 094.

सं:-निसेसंप्रनि DCSEM /निदे/DIR/210 (सी)/२४ अप्रैल 09 , 2025

विषय Sub : निसेसंप्रनि निर्माण एवं अनुरक्षण सुरक्षा समिति (सीएमएसई) का पुनर्गठन।
Re-Constitution of DCSEM Construction & Maintenance Safety Committee (CMSE).

निसेसंप्रनि द्वारा किए गए निर्माण और अनुरक्षण कार्यों के दौरान समग्र सुरक्षा को बढ़ाने और सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित सुरक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया है। In order to continue to enhance & ensure overall safety during construction & maintenance works carried out by DCSEM, and in supersession of earlier Committee, the following safety Committee is re-constituted :-

1.	श्री अंशू गुप्ता, प्रधान (पीसीडी), निसेसंप्रनि Shri Anshu Gupta, Head (PCD), DCSEM	अध्यक्ष Chairman
2.	श्री जे डी येवले. परि.अभि.(वाई) Shri J D Yevale, PE(Y)	सह-अध्यक्ष Co-Chairman
3.	श्री एस के भिसे, प्रधान एसडीएस Shri S.K Bhise, Head SDS	सदस्य Member
4.	श्री कौशिक बासू , अधि.(जी एम एवं सी एएस) (पू.क्षे) Shri Kaushik Basu, Suptdt(GM&CS)(EZ)	
5.	श्री एम नागराजन, परि.अभि.(एन) Shri M Nagrajan, PE(N)	
6.	श्री हरीश कुमार, वैअ/ई, ईडी Shri Harish Kumar, SO/E ,ED	
7.	श्री अनिल कुमार, वैअ/ई, एमडी Shri Anil Kumar, SO/E, MD	
8.	श्री अरुण, वैअ/ई, एसडीएस Shri Saubhagya Karmakar, SO/E, SDS	सदस्य सचिव Member Secretary

परियोजना/अनुरक्षण इकाई के प्रभारी अभियंता को समिति द्वारा आवश्यकता पड़ने पर आमंत्रित किया जा सकता है।
EIC of project / maintenance unit can be invited as & when required by the Committee.

समिति के कार्य निम्नानुसार होंगे Terms & reference of the Committee shall be here as under :-

i. नियमित आधार पर परियोजनाओं/कार्यों के प्रभारी अभियंता से निर्धारित प्रारूप में सुरक्षा रिपोर्ट प्राप्त करना और संबंधित प्रभारी अभियंता को आवश्यक सलाह/निर्देश देने के लिए जांच करना । To seek safety report is prescribed format from EIC(s) of the projects/works on regular basis & examine for necessary advice / instruction to EIC concerned.

ii. जहाँ भी वांछित हो, सुरक्षा जोखिम विश्लेषण करना। To carry out safety hazard analysis wherever desired.

iii. संबंधित मुख्य अभियन्ता को सूचित करते हुए सभी प्रभारी अभियंता को अनुमोदित सुरक्षा दिशानिर्देश जारी करना। To issue the approved safety guidelines to all EIC(s) under intimation to CE, concerned.

iv. निर्माण और रखरखाव स्थलों का दौरा करना और संबंधित ईआईसी के साथ बातचीत करना और यह देखना कि सुरक्षा ऑडिट की टिप्पणियों का संतोषजनक रूप से अनुपालन किया गया है। To visit construction & maintenance sites & interact with concerned EIC(s) and see that the observations of safety audits are compiled satisfactory.

v. निविदा शर्तों में शामिल किए जाने वाले किसी भी अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की सिफारिश करना। To recommend any additional safety measures to be included in the tender conditions.

vi. एमसीजीएम / महाराष्ट्र सरकार / एनबीसी, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार मौजूदा इमारतों की अखंडता और सुरक्षा ऑडिट सुनिश्चित करना और इमारतों और रहने वालों की सुरक्षा के लिए ऑडिट टिप्पणियों का पालन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना। To carry out & ensure the integrity and safety audits of existing buildings as per the guidelines of MCGM / GoM / NBC, GoI & take necessary action to comply with audit observations for safety of the buildings & occupants.

vii. किसी स्थल पर घटित होने वाली किसी दुर्घटना/घटना की जांच करना। To investigate any accidents / incident that occurs at any site.

समिति महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी, सुरक्षा संबंधी मुद्दे पर विचार करेगी और आरओडी की प्रति निदेशक, निसेसंप्रनि को प्रमुख, पीसीडी, समन्वयक, शीर्ष समिति, निसेसंप्रनि के माध्यम से अग्रेषित करेगी। The committee shall meet at least once in a month, deliberate the safety related issue & forwarded copy of ROD to Director, DCSEM through Head, PCD, Co-ordinator, Apex Committee, DCSEM.

(के महापात्रा K. Mahapatra)
निदेशक Director

उपरोक्त संबंधित अधिकारी All above Concerned Officer

प्रतिलिपि Copy to:

1. मुख्य अभियंता (सीनिस) निसेसंप्रनि / CE (CCG)
2. मुख्य अभियंता (ईएसजी) / CE (ESG)
3. प्रमुख (पीसीडी) /Head (PCD)
4. प्रमुख (कें.मा.प्र) /Head (CQD)
5. मुख्य प्रशासन अधिकारी / Chief Administrative Officer
6. संयुक्त नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) /Joint Controller (F&A)

भारत सरकार / Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy
निर्माण सेवाएँ एवं संपदा प्रबंधन निदेशालय /
Directorate of construction Services & Estate Management
निदेशक कार्यालय / Director's Office
तीसरा तल, वि. सा. भवन /3rd floor, V. S. Bhavan,
अणुशक्तिनगर/Anushaktinagar,
मुंबई/Mumbai – 400 094.

सं.: निसेसंप्रनि DCSEM/निदे DIR/ पीसी PC/37 अप्रैल 30, 2026

कार्यालय आदेश सं.OFFICE ORDER No.20/2026

कार्य का नाम	डीसीएसईएम द्वारा निष्पादित "सामान/उपकरण के अनुबंधों" के लिए "खरीद समिति" का गठन
Name of Work	Constitution of "Purchase Committee" for "Contracts for Stores / Equipment" executed by DCSEM

परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा जारी "वित्तीय शक्तियों के प्रयोग (डीएई) नियम (ईएफपीआर) 2025" के संदर्भ में, दिनांक 08.04.2026 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/1(1)/2019-बजट (भाग फाइल) के माध्यम से, डीसीएसईएम द्वारा निष्पादित "भंडार/उपकरण के लिए अनुबंध" के प्रस्तावों की अनुशंसाओं के लिए निम्नलिखित अधिकारियों से युक्त "खरीद समिति" का गठन किया जाता है।

With reference to "Exercise of Financial Powers (DAE) Rules (EFPR) 2025, Department of Atomic Energy, issued vide O.M. No.7/1(1)/2019-Budget (Part File)/ dated 08.04.2026", the "Purchase Committee" comprising of following officials is hereby constituted for recommendations of proposals of "Contracts for Stores / Equipment" executed by DCSEM.

क्रय समिति में निम्नलिखित अधिकारी शामिल होंगे:
The Purchase Committee will consist of following officials:

1)	मुख्य अभियन्ता (ईएसजी), निसेसंप्रनि Chief Engineer (ESG), DCSEM	अध्यक्ष Chairman
2)	मुख्य परियोजना अभियंता, निसेसंप्रनि Chief Project Engineer (P), DCSEM	सदस्य Member
3)	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, निसेसंप्रनि Director (P&A)/Chief Administrative Officer, DCSEM	सदस्य Member
4)	लेखा उप नियंत्रक / वेतन एवं लेखा अधिकारी, निसेसंप्रनि Deputy Controller of Accounts / Pay and Accounts Officer, DCSEM	सदस्य Member

5)	प्रभारी अभियंता (जेम सेल), निसेसंप्रनि EIC (Gem Cell), DCSEM	सदस्य सचिव Member Secretary

क्रय समिति भंडार/उपकरणों के अनुबंध की मंजूरी हेतु अनुशंसा के लिए निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार करेगी:

The Purchase Committee will consider proposals for recommendation for approval of "Contracts for Stores / Equipment" as follows:

प्रकार / Type	कार्य अनुबंध / **Works Contract**
खुली निविदा / Open Tender	8.00 करोड़ रुपये तक Upto Rs.8.00 Crore
सीमित निविदा / Limited Tender	6.00 करोड़ रुपये तक Upto Rs.6.00 Crore
एकल / नामांकित / बातचीत से तय निविदा Single / Nominated / Negotiated Tender	2.00 करोड़ रुपये तक Upto Rs.2.00 Crore

KAMALENDU MAHAPATRA

Digitally signed by KAMALENDU MAHAPATRA
Date: 2026.04.30 11:52:20 +05'30'

(के. महापात्रा / K. Mahapatra)
निदेशक /Director

To
Members of "Purchase Committee"

प्रतिलिपि Copy to:

1. Head (CQD), DCSEM
2. JC (F&A), DCSEM

भारत सरकार / Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy
निर्माण सेवाएँ एवं संपदा प्रबंधन निदेशालय /
Dirctorate of construction Services & Estate Management
निदेशक कार्यालय / Director's Office

तीसरा तल, वि. सा. भवन /3rd floor, V. S. Bhavan,
अणुशक्तिनगर/Anushaktinagar,
मुंबई/Mumbai – 400 094.

सं.: निसेसंप्रनि DCSEM/निदे DIR/ एसईसी SEC/38 अप्रैल 30, 2026

कार्यालय आदेश सं.OFFICE ORDER No.21/2026

कार्य का नाम	डीसीएसईएम द्वारा निष्पादित "सेवा अनुबंधों" के लिए भंडार और उपकरण समिति का गठन
Name of Work	Constitution of "Stores and Equipment Committee" for "Contracts for Services" executed by DCSEM

परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा जारी "वित्तीय शक्ति प्रयोग (डीएई) नियम (ईएफपीआर) 2025" के संदर्भ में, दिनांक 08.04.2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/1(1)/2019-बजट (भाग फाइल) के माध्यम से, डीसीएसईएम द्वारा निष्पादित सेवाओं के लिए अनुबंध के प्रस्तावों की अनुशंसाओं हेतु निम्नलिखित अधिकारियों से युक्त भंडार एवं उपकरण समिति का गठन किया जाता है।

With reference to "Exercise of Financial Power (DAE) Rules (EFPR) 2025, Department of Atomic Energy, issued vide O.M. No.7/1(1)/2019-Budget (Part File)/ dated 08.04.2026" the "Stores and Equipment Committee" comprising of following officials is hereby constituted for recommendations of proposals of "Contracts for Services" executed by DCSEM.

भंडार एवं उपकरण समिति में निम्नलिखित अधिकारी शामिल होंगे:
The Stores and Equipment Committee will consist of following officials:

1.	प्रमुख (ईएसडी-I), निसेसंप्रनि Head (ESD-I), DCSEM	अध्यक्ष Chairman
2.	प्रमुख (ईएमपीडी), निसेसंप्रनि Head (EMPD), DCSEM	सदस्य Member
3.	प्रशासनिक अधिकारी - III (एलवीजी), निसेसंप्रनि Administrative Officer – III (LVG), DCSEM	सदस्य Member
4.	वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कार्य), निसेसंप्रनि Sr. Account Officer (Works), DCSEM	सदस्य Member
5.	प्रभारी अभियंता (जेम सेल), निसेसंप्रनि EIC (Gem Cell), DCSEM	सदस्य सचिव Member Secretary

भंडार एवं उपकरण समिति निम्नलिखित अनुसार "सेवा अनुबंधों" की स्वीकृति हेतु अनुशंसा के प्रस्तावों पर विचार करेगी:

The Stores and Equipment Committee will consider proposals for recommendation for approval of "Contracts for Services" as follows:

प्रकार / Type	सेवाओं के लिए अनुबंध/ Contracts for Services
खुली निविदा / Open Tender	1.00 करोड़ रुपये तक Upto Rs.1.00 Crore
सीमित निविदा / Limited Tender	50.00 लाख रुपये तक Upto Rs.50.00 Lakhs
एकल / नामांकित / बातचीत से तय निविदा Single/ Nominated / Negotiated Tender	20.00 लाख रुपये तक Upto Rs.20.00 Lakhs

KAMALENDU MAHAPATRA
Digitally signed by KAMALENDU MAHAPATRA
Date: 2026.04.30 11:51:32 +05'30'

(के. महापात्र / K. Mahapatra)
निदेशक / Director

To
Members of "Stores and Equipment Committee"

प्रतिलिपि Copy to:

1. Head (CQD), DCSEM
2. JC (F&A), DCSEM

(11)

Government of India
Department of Atomic Energy

Anushakti Bhavan,
C.S.M.Marg,
Mumbai – 400 001

No.5/24(2)/2016-SUS/12193

September 15, 2016

OFFICE MEMORANDUM

Sub : Re-constitution of Tender Committee for the Civil Engineering Works executed by the Directorate of Construction, Services & Estate Management

In supersession of this Department's OM No.7/8(14)/94-SUS/496 dated 10.11.2000 on the captioned subject, the Tender Committee for the Civil Engineering Works of various units of the Department undertaken by the Directorate of Construction, Services and Estate Management at Mumbai including BRIT, AERB, VECC Project at Calcutta and outstation works of AMD is reconstituted as indicated below :

1.	Director, DCSEM	:	Chairman
2.	Joint Secretary (I & M), DAE	:	Member
3.	Head, A&CED, BARC	:	Member
4.	Dr. S.J. Patil Addl. Chief. Engineer (Civil), HWB	:	Member
5.	Shri T.K.Ghosh Chief Architect, A&CED, BARC	:	Member
6.	Internal Financial Adviser, BARC	:	Member
7.	Jt. Controller (F&A), DCSEM	:	Member
8.	Representative of user	:	Member
9.	Chief Administrative Officer, DCSEM	:	Member Secretary

This issues with the approval of the competent authority.

9/9/16

(S.S.Prasad Rao)
Under Secretary

Chairman & Members of the Tender Committee

Copy to :

1. All Heads of Constituent Units / PSUs / Aided Institutions of DAE
2. All Officers & Sections in DAE
3. Controller, BARC

Government of India
Department of Atomic Energy
Service Units Section

Anushakti Bhavan,
C.S.M.Marg,
Mumbai – 400 001

No.5/24(2)/2016-SUS/12410

September 20, 2016

CORRIGENDUM

Sub : Re-constitution of Tender Committee for the Civil Engineering Works executed by the Directorate of Construction, Services & Estate Management

Reference is invited to Department's Office Memorandum of even number 12193 dated 15.9.2016 on the captioned subject.

2. The entries against Sl No.3 and 5 of the above Office Memorandum may be read as follows :

3.	Head, CED, BARC	: Member
5.	Shri T. K. Ghosh, Chief Architect, A&SED, BARC	: Member

(S.S.Prasad Rao)
Under Secretary

Chairman & Members of the Tender Committee

Copy to :

1. All Heads of Constituent Units / PSUs / Aided Institutions of DAE
2. All officers & Sections in DAE
3. Controller, BARC

निदेशक का कार्यालय/
DIRECTOR'S OFFICE
DCS & EM
DAE

भारत सरकार/Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy
निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय
Directorate of Construction Services & Estate Management
निदेशक कार्यालय / Director's Office

तीसरा तल, वि.सा.भवन,/ 3rd Floor, V.S. Bhavan,
अणुशक्तिनगर/Anushaktinagar,
मुंबई/Mumbai-400 094

No.निदे/DIR/निसेसंप्रनि/DCSEM/213(D)/96 नवंबर 19 , 2025

कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

विषय: निसेसंप्रनि में प्रत्यायोजित मुख्य अभियंताओं को शक्तियों का प्रत्यायोजन।
Sub: Delegation of Powers to the Delegated Chief Engineers in DCSEM.

वित्तीय शक्तियों के प्रयोग (पऊवि) नियम, 1978 के तहत शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में पहले के कार्यालय ज्ञापन संख्या निदे/निसेसंप्रनि/213(डी)/46 दिनांक 04.06.2025 के अधिक्रमण में, मौजूदा शक्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियां निसेसंप्रनि के मुख्य अभियंताओं को प्रत्यायोजित की जाती हैं। In supersession of earlier Office Memorandum No.DIR/DCSEM/213(D)/46 dated 04.06.2025 regarding Delegation of Powers under Exercise of Financial Powers(DAE) Rules, 1978, the following powers are hereby delegated to Chief Engineers of DCSEM in addition to existing powers:-

A.	खुली निविदाएं/Open Tenders	5.00 करोड़ रुपये से अधिक 10.00 करोड़ रुपये तक। Above Rs. 5.00 Crore to Rs.10.00 Crore.
B.	सीमित निविदाएं /Limited Tenders	2.00 करोड़ रुपये से अधिक 5.00 करोड़ रुपये तक। Above Rs. 2.00 Crore to Rs.5.00 Crore.
C.	एकल/नामांकन/बातचीत निविदा Single/Nomination/Negotiated Tender	1.00 करोड़ रुपये से अधिक/ 50.00 लाख रुपये से 2.00 करोड़ रुपये तक। Above Rs.1.00 crore/Rs.50.00 Lakh to Rs. 2.00 Crore.

इन शक्तियों का प्रयोग निम्नलिखित शर्तों के अधीन है। Excrcisc of thcsc powers is subject to the following conditions: -

a) समिति की निम्नलिखित अनुशंसाएं।
With the recommendation of Committee as follows:-

I निर्माण कार्यों के लिए। For Construction Works:-

i) मुख्य अभियंता (सिविल निर्माण समूह)
Chief Engineer (Civil Construction Group)

ii) श्री अंशु गुप्ता, प्रमुख (पीसीडी)

Shri Anshu Gupta, Head(PCD)

iii) श्री पी.के.पांडा, प्रमुख (ईएसडी-II)

Shri P.K.Panda, Head (ESD-II)

iv) श्री आर पी पारीक, प्रमुख (क्यूएस-ए)

Shri R P Pareek, Head (QS-A)

v) उ.ले.नि/व.ले.अ DCA/SAO

II रखरखाव कार्यों के लिए । For Maintenance Works:-

i) मुख्य अभियंता (ईएसजी) Chief Engineer (ESG)

ii) श्री संजय आर बागुल, वरिष्ठ अधीक्षक (पीएचईएस)-सिविल कार्य के लिए

Shri Sanjay R Bagul, Sr.Supdt(PHES)-For Civil Work

iii) श्री डी के बाजपेयी - अन्य कार्यों के लिए

Shri D K Bajpai – For other works

iv) श्री एस टी निनावे, प्रमुख (क्यूएस-सी)

Shri S T Ninawe, Head (QS-C)

v) उ.ले.नि/व.ले.अ DCA/SAO

b) धन की उपलब्धता Availability of funds

c) समय-समय पर लागू नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, कार्यों और अन्य प्रक्रियाओं का पालन करना।

Adherence to the rules, regulations, guidelines, works & other procedures as are applicable from time to time.

d) आईएफए/जेसी (एफ एंड ए) की सहमति से।

With concurrence of IFA/JC (F&A).

(के. महापात्रा / K.Mahapatra)

निदेशक / Director

भारत सरकार/ Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग/ Department of Atomic Energy
निर्माण सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय
Directorate of Construction Services & Estate Management
अभियांत्रिकी सेवा प्रभाग / Directors's Office

विक्रम साराभाई भवन
तृतीय तल, दक्षिणी स्कंध,
अणुशक्तिनगर, मुंबई – 400094

सं.निसेसंप्रनि DCSEM/ निदे.Dir./57 दिनांक: 17 /06/2026

कार्यालय आदेश / OFFICE ORDER 30/2026

श्री ए. के. जाना, मुख्य अभियंता (सीसीजी) के 31.03.2026 को सेवानिवृत्त होने के परिणामस्वरूप, श्री डी. सेनगुप्ता, मुख्य अभियंता (ईएसजी) और मुख्य समन्वयक (एसएपी) निर्माण परियोजनाओं के लिए नागरिक कार्यों के निष्पादन के लिए जिम्मेदार होंगे और प.ऊ.वि. कार्य प्रक्रिया के अनुसार मुख्य अभियंता का अधिकार प्रयोग करेंगे। यह कार्यालय आदेश संख्या 24/2025 दिनांक 29/05/2025 के अनुक्रम में है।

Consequent upon superannuation of Shri A. K. Jana, Chief Engineer (CCG), on 31.03.2026, Shri D. Sengupta, Chief Engineer (ESG) & Chief Co-ordinator (SAP) shall be responsible for execution of civil works for construction Projects and shall exercise the power of Chief Engineer as per DAE works proccdurc. This is in continuation to Office Order No. 24/2025 dated 29/05/2025.

के० महापात्र 17/06/2026.
(के. महापात्र / K. Mahapatra)
(निदेशक) / Director

श्री डी. सेनगुप्ता / Shri D. Sengupta,
मुख्य अभियंता (ईएसजी) एवं मुख्य समन्वयक (एसएपी)/
Chief Engineer (ESG) & CC (SAP)
निसेसंप्रनि/DCSEM.

प्रतिलिपि Copy to :

1. प्रधान, (पीसीडी) एवं प्रधान,वास्तुकार(ए) //Head(PCD) & Head, Architech(A)
2. मुख्य परियोजना अभियंता (पी)/ Chief Project Engineer (P)
3. प्रधान,ईएसडी-I एवं प्रधान,वास्तुकार)आर/(Head,ESD-I & Head, Architech(R)
4. प्रधान, (के.मा.प्र.)/ Head, (CQD)
5. निदेशक (पी एवं ए) /Director(P&A)
6. संयुक्त नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) (DCA /Joint Controller (F&A)

215(A)

भारत सरकार/Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy
निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय
Directorate of Construction Services & Estate Management
निदेशक कार्यालय / Director's Office

तीसरा तल, वि.सा. भवन,/ 3rd Floor, V.S. Bhavan,
अणुशक्तिनगर/Anushaktinagar,
मुंबई/Mumbai-400 094.

सं.निसेसंप्रनि DCSEM /निदे/DIR/210 (सी)/29 अप्रैल 09 , 2025

विषय/Sub: निसेसंप्रनि में निसेसंप्रनि विद्युत सुरक्षा समिति का गठन
DCSEM Electrical Safety Committee (ESC) in DCSEM.

निसेसंप्रनि के अधिकार क्षेत्र के अधीन पऊवि की स्थापना में विद्युत सुरक्षा को उन्नत करने और सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित समिति का गठन किया जाता है In order to enhance & ensure electrical safety at DAE installation under jurisdiction of DCSEM and in supersession of earlier committee, following Committee is re- constituted with immediate effect:-

1	श्री समीर जाधव, प्रधान (ईडी), निसेसंप्रनि Shri Sameer Jadhav, Head (ED), DCSEM	अध्यक्ष Chairman
2	श्री डी के बाजपाई, पीई(ई), ईडी Shri D K Bajpai, PE(E),ED	सदस्य Member
3	श्री के. आर. रेड्डी, अधीक्षक, जीएसएस Shri K. R. Reddy, Supdt.(ES), GSS	सदस्य Member
4	श्री आर एस रेडीज, ईआईसी (वि सु) Shri R S Rediz, EIC (Elect. Safety)	सदस्य Member
5	अधयक्ष, विद्युत सुरक्षा समिति Chairman, Fire Safety Committee	आमंत्रित Invitee (as & when required)
6	श्री तजिंदर सिंह लांबा, वैअ/डी, Shri Tajindar Singh Lamba,SO/D,	सदस्य सचिव Member Secretary

ईएसडी की संबंधित अनुरक्षण इकाइयों के किसी भी प्रभारी अभियंता / प्रभारी को आवश्यकता पड़ने पर आमंत्रित किया जाना चाहिए। Any EIC / In-charge of maintenance units of ESD can be invited by Committee as & when required.

समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे The terms of reference of the Committee shall be as follows :-

I. सभी अनुरक्षण/नवीनीकरण/उन्नयन कार्यों आदि के लिए ईएसडी और जीएसएस के ईआईसी से सुरक्षा स्थिति रिपोर्ट प्राप्त करना To seek safety status report from EIC(s) of ESDs & GSS for all the maintenance/renovation /upgradation works etc.

II. संबंधित नवीनतम एमसीजीएम और महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी मौजूदा भवनों की अखंडता और सुरक्षा ऑडिट का पालन करना और सुनिश्चित करना। To follow up & ensure that the integrity & safety audits of all existing buildings as per the relevant latest MCGM & GoM and GOI guidelines are carried out by concerned.

III. मुंबई में नवनिर्मित परिसरों के लिए विद्युत सुरक्षा पहलुओं की समीक्षा करना। To review the electrical safety aspects for newly constructed/renovated premises in Mumbai.

IV. दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्युत सुरक्षा ऑडिट करना और संबंधित इंजीनियरिंग अनुभागों/प्रभागों के माध्यम से अनुपालन सुनिश्चित करना। प्रस्तावों को आवश्यकतानुसार प्राक्कलन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा । To

carry out electrical safety audits as per the guidelines & ensure compliance through concemed Engineering Sections/Divisions. Proposals as necessary shall be put up with estimate.

V. विभिन्न साइटों का दौरा करना और संबंधित अभियंता प्रभारी के साथ बातचीत करना ताकि सुरक्षा लेखापरीक्षा के प्रेक्षणों का संतोषजनक रूप से अनुपालन किया जा सके। To visit various sites & interact with concemed Engineer in charge that the observations of safety audit are compiled satisfactory.

VI. सूचना और कार्यान्वयन के लिए सभी संबंधितों की चेकलिस्ट और सलाह सहित दिशानिर्देश तैयार करना। To prepare guidelines including checklist & advice all concerned for information & implementation.

VII. अध्यक्ष, अग्नि सुरक्षा समिति के साथ विद्युत प्रतिष्ठानों से संबंधित किसी भी मुद्दे को हल करना तथा सुरक्षा के मुद्दे पर विचार-विमर्श करना To deliberate the safety issue with Chairman, Fire Safety Committee also to sort out the issue if any related to electrical installations.

VIII. आपूर्ति प्राधिकारियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करना ताकि उनकी स्थापना का ऑडिट समय रो किया जा सके और अवलोकन का अनुपालन हो सके। To follow up with supply authorities to ensure that their installation are audited timely & observation complied.

IX. अध्यक्ष, जीबी/शीर्ष समिति, निसेसंप्रनि को यदि आवश्यकता हो तो लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के प्रभावी अनुपालन के लिए उपसमिति के गठन की सिफारिश करना। To recommend constitution of subcommittee if necessary to Chairman, GB/Apex Committee, DCSEM for effective compliance of audit observation.

समिति तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगी और प्रमुख, पीसीडी, समन्वयक, शीर्ष समिति, डीसीएसईएम के माध्यम से निदेशक, निसेसंप्रनि को स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। The committee shall meet at least once in a quarter & submit/present status report to Director, DCSEM through Head, PCD, Co-ordinator, Apex Committee, DCSEM.

दि॰ 16/04/2026

(के महापात्रा K. Mahapatra)
निदेशक Director

उपरोक्त संबंधित अधिकारी All above Concerned Officer

प्रतिलिपि Copy to:

1. मुख्य अभियंता (सीनिरा) निसेसंप्रनि / CE (CCG)
2. मुख्य अभियंता (ईएसजी) / CE (ESG)
3. प्रमुख (पीसीडी) /Head (PCD)
4. प्रमुख (कें.गा.प्र) /Head (CQD)
5. मुख्य प्रशासन अधिकारी / Chief Administrative Officer
6. संयुक्त नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) / Joint Controller (F&A)

भारत सरकार/Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy
निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय
Directorate of Construction Services & Estate Management
निदेशक कार्यालय / Director's Office

तीसरा तल, वि.सा.भवन/ 3rd Floor, V.S. Bhavan,
अणुशक्तिनगर/Anushaktinagar,
मुंबई/Mumbai-400 094.

सं.:निसेसंप्रनि DCSEM/निदे/DIR/215(A)/2026/29 मार्च 18 2026

कार्यालय आदेश OFFICE ORDER NO. 16 /2026

एल आई जी ओ-इंडिया परियोजना के सिविल एवं निर्वात अवसंरचना कार्य के लिए ईपीसी अनुबंध हेतु कार्य आदेश जारी किए जाने के परिणामस्वरूप, निम्नलिखित अधिकारियों को एतद् द्वारा निम्नवत स्थानांतरित/पुन:पदनामित तथा /अथवा पदस्थापित किया जाता है:

Consequent upon the issue of Work Order for the EPC Contract for Civil and Vacuum Infrastructure work of LIGO-India Project, the following Officials are hereby transferred/re-designated and/or posted as per the details given below:

1.	श्री समीर जाधव, वै.अ./एच एवं प्रमुख (ईएमपीडी) को परियोजना निदेशक, एलआईजीओ-इंडिया परियोजना (सिविल एवं निर्वात अवसंरचना) के रूप में पुन:पदनामित किया जाता है। वे एलआईजीओ-इंडिया साइट, हिंगोली, महाराष्ट्र में तैनात होंगे तथा निदेशक, निसेसंप्रनि को रिपोर्ट करेंगे। श्री जाधव पऊवि कार्य प्रक्रिया के अनुसार मुख्य अभियंता की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। Shri Sameer Jadhav, SO/H & Head (EMPD) is re-designated as Project Director, LIGO-India Project (Civil & Vacuum Infrastructure). He shall be posted at LIGO-India site, Hingoli, Maharashtra and report to Director, DCSEM. Shri Jadhav shall exercise the powers of Chief Engineer as per DAE Works Procedure.
2.	श्री डी. के. बाजपेयी, वै.अ./जी एवं परियोजना अभियंता (ई) को प्रमुख (ईएमपीडी) के रूप में पुन: पदनामित किया जाता है। वे मुख्य अभियंता (ईएसजी) को रिपोर्ट करेंगे तथा पऊवि कार्य प्रक्रिया के अनुसार अधीक्षण अभियंता की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। ईएमपीडी के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी श्री बाजपेयी को रिपोर्ट करेंगे। Shri D.K. Bajpai, SO/G & Project Engineer (E) is re-designated as Head (EMPD). He shall report to Chief Engineer (ESG) and exercise the powers of Superintending Engineer as per DAE Works Procedure. All the staff and Officers of EMPD shall report to Shri Bajpai.

उपर्युक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
The above order will come into force with immediate effect.

के. महापात्रा 18/03/2026.
के.महापात्रा / K.Mahapatra
निदेशक/Director

श्री समीर जाधव, वै.अ./एच एवं प्रमुख (ईएमपीडी), निसेसंप्रनि/Shri Sameer Jadhav, SO/H & Head (EMPD), DCSEM

श्री डी. के. बाजपेयी, वै.अ./जी एवं परियोजना अभियंता (विद्युत) निसेसंप्रनि
Shri D.K.Bajpai, SO/G & Project Engineer (Electrical), DCSEM

प्रतिलिपि/Copy to:

1. मुख्य अभियंता (सी.नि.स.)/ CE (CCG)
2. मुख्य अभियंता (ई.एस.जी.)/ शासी निकाय के अध्यक्ष/CE (ESG)/ Chairman (GB)
3. प्रमुख (पीसीडी)/Head (PCD)
4. प्रमुख (ईएमपीडी)/ Head (EMPD)
5. प्रमुख (कें.मा.प्र.)/(Head (CQD)
6. प्रमुख (ई एंड आईटीएसडी)/Head (E&ITSD)
7. निदेशक (का. एवं प्र.)/ Director (P&A)
8. संयुक्तनियंत्रक (वित्त एवं ले.) / Joint Controller (F&A)

भारत सरकार/Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग/ Department of Atomic Energy
निर्माण सेवाएँ एवं संपदा प्रबंधन निदेशालय / Directorate of Construction Services & Estate Management
निदेशक कार्यालय/ Director's Office

तीसरी मंजिल, वी.एस. भवन,/ 3rd Floor, V.S. Bhavan,
अणुशक्तिनगर /Anushaktinagar,
मुंबई /Mumbai-400 094.

सं.सं:डीसीएसईएम/DIR/एलपीसी/210(C): ६६ 30 जून, 2025

विषय: डीसीएसईएम के लिए स्थानीय क्रय समिति का गठन
Subject: Constitution of Local Purchase Committee for DCSEM

संयुक्त नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) द्वारा जारी परिपत्र पत्र डीसीएसईएम/लेखा/जेसी(एफ एंड ए)/जीएफआर/2024 दिनांक 30 सितंबर, 2024 के अनुसार निर्माण एवं संपदा प्रबंधन निदेशालय (डीसीएसईएम) की स्थानीय क्रय समिति तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार गठित की जाती है। As per Circular issued by Joint Controller (Finance & Accounts) vide letter DCSEM/Accts/JC(F&A)/GFR/2024 dated September 30, 2024 the Local Purchase Committee of Directorate of Construction and Estate Management (DCSEM) is constituted as follow with immediate effect.

क्र. सं. Sr. No.	सदस्य Members	समिति में पद Post in the Committee
01	प्रधान (पीसीडी), निसेसंप्रनि Head (PCD), DCSEM	अध्यक्ष Chairman
02	प्रधान (ई एवं आईटीएसडी), निसेसंप्रनि Head (E & ITSD), DCSEM	सदस्य Member
03	प्रशासनिक अधिकारी - III (एलवीजी), निसेसंप्रनि Administrative Officer – III (LVG), DCSEM	सदस्य Member
04	वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कार्य), निसेसंप्रनि Sr. Account Officer (Works), DCSEM	सदस्य Member
05	प्रभारी अभियंता (जेम सेल), निसेसंप्रनि EIC (Gem Cell), DCSEM	सदस्य सचिव Member Secretary

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। The above order will come into force with immediate effect.

के.वी. गायकवाड 30/06/2025
के महाप्रबंधक
निदेशक, निसेसंप्रनि

निसेसंप्रनि की स्थानीय क्रय समिति के अध्यक्ष और सदस्य
Chairman and Members of the Local Purchase Committee of DCSEM

Copy to: -

1. मुख्य अभियंता (सीसीजी) Chief Engineer (CCG)
2. मुख्य अभियंता (ईएसजी) Chief Engineer (ESG)
3. संयुक्त नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) Joint Controller (F&A)
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी Chief Administrative Officer

भारत सरकार/Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy
निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय
Directorate of Construction Services & Estate Management
निदेशक कार्यालय / Director's Office

तीसरा तल, वि.सा.भवन,/ 3rd Floor, V.S. Bhavan,
अणुशक्तिनगर/Anushaktinagar,
मुंबई/Mumbai-400 094.

सं.:निसेसंप्रनिDCSEM/निदे/DIR/2026/27 मार्च 17, 2026

कार्यालय आदेश सं. OFFICE ORDER NO.15 /2026

श्री अनुप कुमार जाना, उत्कृष्ट वैज्ञानिक एवं मुख्य अभियंता (सीसीजी) की 31.03.2026 को सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप, निम्नलिखित अधिकारियों को निचे दिए गए विवरण के अनुसार स्थानांतरित/ पुनःपदनामित/ पदस्थापित किया जाता है। Consequent upon retirement on superannuation of Shri Anup Kumar Jana, Outstanding Scientist & Chief Engineer (CCG) on 31.03.2026, the following officials are hereby transferred/re-designated and/or posted as per the details given below:

1.	श्री प्रताप कुमार पांडा, वै अ/जी एवं प्रमुख (ईएसडी-II), निसेसंप्रनि को मुख्य परियोजना अभियंता (पी) के पद पर पुनःपदनामित किया गया है। वे एलआईजीओ इंडिया परियोजना को छोड़कर निसेसंप्रनि द्वारा संचालित परियोजनाओं के निर्माण कार्यों की देखरेख करेंगे। वे मु.अ(ईएसजी), निसेसंप्रनि को रिपोर्ट करेंगे। श्री पांडा प.ऊ.वि कार्य प्रक्रिया के अनुसार अधीक्षण अभियंता की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। Shri Pratap Kumar Panda, SO/G & Head (ESD-II), DCSEM is re-designated as Chief Project Engineer (P). He will be looking after the construction works of projects handled by DCSEM except LIGO India project. He shall report to CE (ESG), DCSEM. Shri Panda shall exercise the powers of Superintending Engineer as per the DAE Works Procedure.
2.	श्री पी.एस. सालुंके, वै अ/एफ और प्रमुख (एच एंड सीएमएस-ईजेड)/सुपरिटेंडेंट एसआर को प्रमुख (ईएसडी-II) के रूप में पुनः पदनामित किया जाता है। वे प्रमुख (ईएसडी-II) श्री प्रताप कुमार पांडा से कार्यभार ग्रहण करेंगे। श्री सालुंके प्रमुख (ईएसडी-II) के कार्यों के अतिरिक्त पूर्वी जोन के एच एंड सीएमएस कार्य, संरचनात्मक मरम्मत, सार्वजनिक क्षेत्रों का अनुरक्षण, नवीनीकरण/उन्नयन कार्य, सड़कों का रखरखाव आदि कार्यों को संभालना जारी रखेंगे। वे प.ऊ.वि कार्य प्रक्रिया के अनुसार कार्यकारी अभियंता की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। वे निसेसंप्रनि के शासी निकाय के अध्यक्ष को रिपोर्ट करेंगे। Shri P.S.Salunke, SO/F & Head (H&CMS-EZ)/Supdt. SR is re-designated as Head (ESD-II). He shall take over the charge from Shri Pratap Kumar Panda, Head (ESD-II). Shri Salunke will continue to look after the H&CM work of Eastern Zone, Structural Repairs, Maintenance of common areas, Renovation/Upgradation works, Maintenance of roads etc. in addition to works of Head (ESD-II). He shall exercise the powers of

	Executive Engineer as per the DAE Works Procedure. He shall report to Chairman Governing Body,DCSEM.
3.	श्री संदीप एस. क्षीरसागर, वै.अ /एफ और अधीक्षक (ईएसडी-III) को एसडीएस प्रमुख के रूप में पुनः पदनामित किया जाता है। वे निसेसंप्रनि द्वारा संचालित सभी सिविल डिजाइन संबंधी कार्यों की देखरेख करेंगे। एसडीएस के सभी कर्मचारी उन्हें रिपोर्ट करेंगे। श्री क्षीरसागर पीसीडी प्रमुख को रिपोर्ट करेंगे। वे एसडीएस प्रमुख का कार्यभार श्री एस.के. भीसे, वै.अ/एफ और (पीएम-एलआईजीओ इंडिया प्रोजेक्ट) से ग्रहण करेंगे। Shri Sandeep S. Kshirsagar, SO/F & Supdt. (ESD-III) is re-designated as Head (SDS). He will look after all the civil design related works being handled by DCSEM. All the staff of SDS shall report to him. Shri Kshirsagar shall report to Head, PCD. He shall take over the charge of Head, SDS from Shri S.K.Bhise, SO/F & (PM-LIGO India Project).
4.	श्री आर. राजीव कुमार, वै.अ/एफ एवं अधीक्षक (ईएसडी-II) को अधीक्षक (ईएसडी-III) के पद पर पुनः पदनामित किया जाता है और उनकी तैनाती ओवाईसी अनुरक्षण कार्यालय (निसेसंप्रनि), कोलाबा, मुंबई में होगी। वे श्री जे.डी. येवाले, प्रमुख (ईएसडी-III) को रिपोर्ट करेंगे। श्री येवाले प.ऊ.वि कार्य प्रक्रिया के अनुसार कार्यकारी अभियंता की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। Shri R. Rajeev Kumar, SO/F & Supdt. (ESD-II) is re-designated as Supdt. (ESD-III) and will be posted at OYC Maintenance Office (DCSEM), Colaba, Mumbai. He shall report to Shri J.D.Yevale, Head (ESD-III). Shri Yevale shall exercise the powers of Executive Engineer as per DAE Works Procedure.

उपरोक्त परिवर्तन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। The above changes will come into force with immediate effect.

के.महापात्रा / K.Mahapatra
निदेशक/Director

उपर्युक्त/सभी संबंधित अधिकारी/All above concerned Officers

प्रतिलिपि /Copy to:

1. मुख्य अभियंता (सी.नि.स.) / CE (CCG)
2. मुख्य अभियंता (ई.एस.जी.)/ शासी निकाय के अध्यक्ष /CE (ESG)/ Chairman (GB)
3. प्रमुख (पी.सी.डी.)/Head (PCD)
4. प्रमुख (ई.एम.पी.डी.)/ Head (EMPD)
5. प्रमुख(कें.मा.प्र.) /(Head (CQD)
6. प्रमुख (ईएंडआईटीएसडी)/Head (E&ITSD)
7. निदेशक (का. एवं प्र.)/ Director (P&A)
8. संयुक्त नियंत्रक (वित्त एवं ले.) / Joint Controller (F&A)